स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक) प्रधान कार्यालय : 5 यशवंत निवास रोड, इन्दौर–452 003 (म.प्र.) Visit us at : www.indorebank.org

लाभांश **125%**

वार्षिक व्यवसाय **Rs. 28537 cr.**

शुद्ध लाभ **Rs. 139.11 cr.**

इक्विटी पर प्रतिफल **13.67%**

रु. 100 के प्रत्येक अंश का पुस्तक मूल्य **Rs. 5506.38**

प्रति कर्मचारी व्यवसाय **रु. 4.29 cr.**

जमा राशियों में वृद्धि **20.67%**

अग्रिम राशियों में वृद्धि **31.36%**

अनुसूची 1 : पूँजी

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत पूँजी	50,00,00	50,00,00
रु. 100 प्रति शेयर वाले 50,00,000 शेयर		
निर्गमित, प्रतिश्रुत एवं प्रदत्त पूँजी	17,50,00	17,50,00
रु. 100 प्रति शेयर वाले 17,50,000 शेयर - पूर्णतः संदत्त		
जोड़	17,50,00	17,50,00

अनुसूची 2 : आरक्षितियाँ और अधिशेष

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. सांविधिक आरक्षितियाँ		
प्रारंभिक शेष	5,57,67,50	4,57,67,50
वर्ष के दौरान परिवर्धन	39,82,50	1,00,00,00
वर्ष के दौरान कमी	0	0
	5,97,50,00	5,57,67,50
II. शेयर प्रीमियम		
प्रारंभिक शेष	43,75,00	43,75,00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
वर्ष के दौरान कमी	0	0
	43,75,00	43,75,00
III. पूँजी आरक्षिति		
प्रारंभिक शेष	16,76,01	16,72,68
वर्ष के दौरान परिवर्धन	14,49,69	3,33
वर्ष के दौरान कमी	0	0
	31,25,70	16,76,01
IV. निवेश उतार - चढ़ाव आरक्षिति		
प्रारंभिक शेष	2,20,46,57	2,20,46,57
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
अन्य आरक्षिति में अंतरण	2,20,46,57	0
	0	2,20,46,57
V. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ		
I. विशेष विकास निधि		
प्रारंभिक शेष	3,07,24	3,07,24
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
अन्य आरक्षिति में अंतरण	3,07,24	
	0	3,07,24
II. अन्य आरक्षिति - प्रारंभिक शेष	44,32,96	30,96,96
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,80,30,80	13,36,00
विशेष विकास निधियों से अंतरण	3,07,24	
वर्ष के दौरान कमी	0	0
	3,27,71,00	44,32,96
	3,27,71,00	47,40,20
VI. लाभ एवं हानि खाते का अतिशेष	98	1,06
जोड़ (I to VI)	10,00,22,68	8,86,06,34

अनुसूची 3 : जमाराशियाँ

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
क. I. माँग जमाराशियाँ		
i) बैंकों से	1,81,01,30	2,86,21,78
ii) अन्य से	14,90,74,80	11,85,51,07
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	34,65,51,93	27,85,17,49
III. सावधि जमाराशियाँ		
i) बैंकों से	23,80,00	2,85,23,19
ii) अन्य से	1,14,99,63,38	92,64,93,87
जोड़ (I, II एवं III)	1,66,60,71,41	1,38,07,07,40
ख. I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1,66,60,71,41	1,38,07,07,40
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाराशियाँ	0	0
जोड़ (I एवं II)	1,66,60,71,41	1,38,07,07,40

अनुसूची 4 : उधार

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
ii) अन्य बैंकें	0	0
iii) अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	3,39,86,66	5,02,57,97
vi) स्तर-II पूंजी के अंतर्गत अधीनस्थ ऋण	5,15,00,00	2,65,00,00
	8,54,86,66	7,67,57,97
II. भारत के बाहर से उधार	3,88,15,05	3,71,69,83
जोड़ : (I एवं II)	12,43,01,71	11,39,27,80
प्रतिभूति उधार ऊपर I और II में सम्मिलित	3,39,86,66	5,02,57,97

अनुसूची 5 : अन्य देनदारियाँ तथा प्रावधान

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. देय बिल	2,46,25,64	4,41,68,92
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	0	8,73,02
III. प्रोद्भूत ब्याज	1,18,36,50	94,03,88
IV. स्तरीय आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान	42,50,16	22,50,16
V. अग्रिम चुकाया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर	0	0
VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	13,82,22,87	4,81,49,23
जोड़ : (I एवं VI)	17,89,35,17	10,48,45,21

अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. हस्तस्थ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	24,72,94	23,06,37
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष		
i) चालू खातों में	11,21,83,71	5,43,62,33
ii) अन्य खातों में	0	0
जोड़ : (i एवं ii)	11,21,83,71	5,43,62,33
जोड़ : (I एवं II)	11,46,56,65	5,66,68,70

SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. भारत में		
i) बैंकों में अतिशेष		
a) चालू खातों में	88,06,78	59,97,92
b) अन्य जमा खातों में	2,86,22,18	3,64,59,30
जोड़	3,74,28,96	4,24,57,22
ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
a) बैंकों से	1,05,00,00	2,05,00,00
b) अन्य संस्थाओं से	0	0
	1,05,00,00	2,05,00,00
जोड़ : (i & ii)	4,79,28,96	6,29,57,22
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	0	0
ii) अन्य जमा खातों में	4,23,01,26	3,78,79
iii) माँग और अल्प सूचना पर एवं प्रतिदेय राशि	0	0
जोड़ : (i to iii)	4,23,01,26	3,78,79
जोड़ : (I & II)	9,02,30,22	6,33,36,01

अनुसूची 8 : निवेश

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. भारत में निवेश		
i) सकल निवेश	53,75,99,78	60,14,54,54
ii) घटाया : अद्यतन मूल्य ह्रास	2,64,01,41	1,16,39,61
जोड़ : शुद्ध निवेश	51,11,98,37	58,98,14,93
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	46,46,38,15	55,80,68,18
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	29,67,45	65,55,76
iii) अंश	41,35,74	31,68,29
iv) ऋणपत्र और बॉंड	74,21,17	1,78,69,34
v) समनुषंगी और/अथवा संयुक्त उद्यम (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश सहित)	2,19,29	2,19,29
vi) अन्य (यू.टी.आई. के यूनिट्स और म्युचुअल फंड्स)	3,18,16,57	39,34,07
जोड़ (i to vi)	51,11,98,37	58,98,14,93
II. भारत के बाहर निवेश	0	0
जोड़ (I & II)	51,11,98,37	58,98,14,93

अनुसूची 9 : अग्रिम*

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
क. i) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र	6,16,59,02	5,34,46,68
ii) नकद साख, अधिविकर्ष और माँग पर देय ऋण	46,45,29,13	36,20,43,84
iii) सावधि ऋण	66,14,08,90	48,85,74,68
जोड़ : (i to iii)	1,18,75,97,05	90,40,65,20
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* ("बही ऋणों पर अग्रिमों को शामिल कर)	1,03,63,15,84	78,17,76,84
ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	1,60,69,35	2,43,03,56
iii) अप्रतिभूत	13,52,11,86	9,79,84,80
जोड़ : (i to iii)	1,18,75,97,05	90,40,65,20
ग. I भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	50,88,64,30	39,49,40,59
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	2,94,87,06	3,23,39,14
iii) बैंक	10,99,73	3,89,32
iv) अन्य	64,81,45,96	47,63,96,15
जोड़ : (i to iv)	1,18,75,97,05	90,40,65,20
II भारत के बाहर अग्रिम	0	0
जोड़ (ग-I व ग-II)	1,18,75,97,05	90,40,65,20

* यथानुपात समायोजित मुक्त प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए, प्रावधानों का कम करके

अनुसूची 10 : स्थिर आस्तियाँ

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. परिसर		
i) 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार लागत पर	36,33,95	23,17,40
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन	9,82,11	13,16,55
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
iv) घटाया : अद्यतन मूल्य ह्रास	14,16,75	12,03,70
उप जोड़	31,99,31	24,30,25
v) कार्य प्रगति पर	0	1,48,93
जोड़ : (i to v)	31,99,31	25,79,18
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इनमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
i) 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार लागत पर	1,47,44,86	1,18,32,87
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन	66,62,16	29,31,53
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	38,67	19,54
iv) अद्यतन मूल्य ह्रास	1,32,91,76	96,17,38
v) कार्य प्रगति पर	0	0
जोड़ : (i to v)	80,76,59	51,27,48
III. पट्टे वाली आस्तियाँ		
i) 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार लागत पर	0	0
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
iv) अद्यतन मूल्य ह्रास	0	0
जोड़ : (i to iv)	0	0
जोड़ : (I to III)	1,12,75,90	77,06,66

31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	अनुसूची	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
पूँजी और दायित्व			
पूँजी	1	17,50,00	17,50,00
आरक्षितियाँ और अधिशेष	2	10,00,22,68	8,86,06,34
जमाराशियाँ	3	1,66,60,71,41	1,38,07,07,40
उधार	4	12,43,01,71	11,39,27,80
अन्य देनदारियाँ तथा प्रावधान	5	17,89,35,17	10,48,45,21
जोड़		**2,07,10,80,97**	**1,68,98,36,75**
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6	11,46,56,65	5,66,68,70
बैंकों में अतिशेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	9,02,30,22	6,33,36,01
निवेश	8	51,11,98,37	58,98,14,93
अग्रिम	9	1,18,75,97,05	90,40,65,20
अचल आस्तियाँ	10	1,12,75,90	77,06,66
अन्य आस्तियाँ	11	15,61,22,78	6,82,45,25
जोड़		**2,07,10,80,97**	**1,68,98,36,75**
आकस्मिक देयताएँ	12	1,67,80,43,23	97,43,83,19
संग्रहण के लिए बिल		3,41,64,17	9,20,42,77
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ 1 से 18 लेखों के अनिवार्य हिस्से हैं

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	अनुसूची	31.03.2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2005 को समाप्त वर्ष के लिए
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	13,22,69,28	11,09,83,10
अन्य आय	14	2,75,71,41	1,78,26,97
जोड़		15,98,40,69	12,88,10,07
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	7,81,17,38	6,07,63,03
परिचालन व्यय	16	3,97,18,51	3,28,37,68
प्रावधान और आकस्मिकताएँ		2,80,94,17	2,18,91,69
जोड़		14,59,30,06	11,54,92,40
III. लाभ			
वर्ष का शुद्ध लाभ		1,39,10,63	1,33,17,67
विनियोग उतार-चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण		0	0
लाभ जो आगे लाया गया		1,06	1,42
जोड़		1,39,11,69	1,33,19,09
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षितियों को अन्तरण		39,82,50	1,00,00,00
पूँजी आरक्षिति		14,49,69	3,33
प्रस्तावित लाभांश		21,87,50	17,50,00
लाभांश कर		3,06,79	2,28,70
निवेश उतार - चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		(2,20,46,57)	0
अन्य आरक्षिति		2,80,30,80	13,36,00
अतिशेष जो आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया		98	1,06
जोड़		1,39,11,69	1,33,19,09

अनुसूची 11 : अन्य आस्तियाँ

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	1,04,82,30	0
II. प्रोद्भूत ब्याज	2,07,28,79	1,51,19,90
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर	1,10,16,11	13,36,27
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	2,16,74	2,60,34
V. अन्य (बैंक के स्टाफ को ब्याज-मुक्त दिए गए ऋण एवं अग्रिम 5.03 करोड़ रुपये के शामिल हैं)	11,36,78,84	5,15,28,74
जोड़ : (I to V)	15,61,22,78	6,82,45,25

अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएँ

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	59,60,95	59,07,22
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए दायित्व	0	0
III. विद्यमान अग्रिम विनिमय संविदाओं के बाबद दायित्व	1,50,37,82,33	85,00,68,01
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ		
a) भारत में	4,89,96,76	4,12,70,56
b) भारत के बाहर	2,52,03	4,55,08
V) प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	10,80,51,16	7,66,01,26
VI) अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	1,10,00,00	81,06
जोड़ : (I to VI)	1,67,80,43,23	97,43,83,19

अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / मितीकाटा	8,46,04,20	6,21,51,86
II. निवेशों पर आय	4,27,30,64	4,53,63,90
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	42,25,93	24,61,00
IV. अन्य	7,08,51	10,06,34
जोड़	13,22,69,28	11,09,83,10

अनुसूची 14 : अन्य आय

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1,19,61,99	1,10,30,36
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध) घटाया : निवेशों के विक्रय पर हानि	78,32,27	17,36,72
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ घटाया : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0	0
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध) घटाया : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	(33)	(4,16)
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (शुद्ध) घटाया : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	27,15,46	22,20,10
VI. पट्टे पर आय	9,21	9,21
VII. विविध आय	50,52,81	28,34,74
जोड़	2,75,71,41	1,78,26,97

अनुसूची 15 : व्यय किया गया ब्याज

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. जमाराशियों पर ब्याज	7,02,18,73	5,71,28,41
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	38,97,70	15,40,23
III. अन्य	40,00,95	20,94,39
जोड़	7,81,17,38	6,07,63,03

अनुसूची 16 : परिचालन व्यय

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2,14,24,95	1,95,31,72
II. किराया, कर और रोशनी	28,02,36	24,64,00
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	7,19,98	6,51,13
IV. विज्ञापन और प्रचार	4,03,09	4,48,93
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य ह्रास	38,87,43	25,32,59
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	11,27	13,51
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) (103.00 लाख रुपये के खर्च सहित) (पिछले वर्ष 95.71 लाख रुपये)	4,01,00	3,84,21
VIII. विधि प्रभार	1,15,55	79,53
IX. डाक, तार और टेलीफोन	4,25,92	4,46,01
X. मरम्मत और अनुरक्षण	4,76,90	3,50,16
XI. बीमा / निक्षेप बीमा प्रीमियम	11,72,46	8,39,48
XII. अन्य व्यय	78,77,60	50,96,41
जोड़	3,97,18,51	3,28,37,68

अनुसूची 17 : प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरणियाँ परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं एवं अन्यथा दर्शाए हुए को छोड़कर सामान्यतः मान्य लेखा प्रथाओं तथा सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

(क) मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष की समाप्ति के समय प्रचलित फेडाई दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

(ख) आय एवं व्यय की मदों को लेन-देन की तिथि पर लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

(ग) विदेशी मुद्राओं में निर्गमित गारंटी पत्रों एवं साख पत्रों को क्रमशः संबंधित लेन-देन की तिथि को लागू दरों पर रूपांतरित किया जाता है।

(घ) बकाया वायदा संविदाओं पर लाभ या हानि को फेडाई के दिशा-निर्देशों पर आधारित मूल्यांकन पर लेखा किया जाता है।

3. निवेश

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. बीपी. बीसी. 21/ 21.04.141/ 2003-04 दिनांक 2 सितंबर 2003 के द्वारा निर्गमित पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के परिपालन में प्रतिभूतियों में निवेशों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है, यथा "परिपक्वता तक रखे गए", "विक्रय हेतु उपलब्ध" एवं "व्यापार हेतु रखे गए"। हालाँकि तुलन-पत्र में दर्शाने के लिए इनका वर्गीकरण छः समूहों में किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, अंश, ऋण-पत्र एवं बॉण्ड, सहायक/ संयुक्त उद्यम तथा अन्य।

(ख) इन वर्गीकरणों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, निम्नानुसार किया गया है:

(i) "परिपक्वता हेतु रखे गए" श्रेणी के निवेश अर्जन लागत पर रखे जाते हैं, जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक नहीं हैं, उस स्थिति में परिपक्वता की शेष अवधि पर प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है और तदनुसार प्रत्येक प्रतिभूति पत्र का बही मूल्य समायोजित कर लिया गया है।

(ii) "विक्रय हेतु उपलब्ध" एवं "व्यापार हेतु रखे गए" श्रेणी में रखे गए विनियोग बाज़ार चिन्हित किए जाते हैं, प्रत्येक वर्गीकरण में शुद्ध मूल्य ह्रास का पूर्ण प्रावधान कर दिया है और प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध बढ़ोत्तरी अधिमूल्यन को छोड़ दिया है।

(iii) विक्रय हेतु उपलब्ध' एवं 'व्यापार हेतु रखे गए' वर्गीकृत भारत सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों एवं अन्य सांविधिक चल-निधि अनुपात हेतु पात्रता वाले बाण्डों में निवेश का मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध दरों पर, प्रायमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) एवं फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट तथा डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित बाजार दरों पर किया जाता है।

(iv) अंशों, ऋण पत्रों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के निकायों के बॉण्ड, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों एवं अन्य म्यूच्युअल फंडों में निवेश जो कि "विक्रय हेतु उपलब्ध" श्रेणी में वर्गीकृत हैं और जिनके बाजार भाव सूची उपलब्ध नहीं है, का लेखा पीडीएआई एवं एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमानित प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) विक्रय की गई प्रतिभूतियों की लागत निर्धारित करने के लिए भारित औसत लागतपद्धति को अपनाया जा रहा है।

(घ) अंशदान पर प्राप्त प्रोत्साहन, दलाली एवं कमीशन प्रतिभूतियों की लागत में समायोजित किए जाते हैं।

(ङ) केंद्र सरकार / राज्य सरकारों द्वारा अप्रत्याभूत प्रतिभूतियाँ : जहाँ मूल/ब्याज देय है, लेकिन 90 दिन की अवधि तक नहीं चुकाया गया है उन्हें गैर निष्पादनकारी निवेश माना है एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

(च) (i) मूल / ब्याज का भुगतान बकाया होने के बावजूद, केंद्रीय सरकार द्वारा गारंटी की गई प्रतिभूतियों को निष्पादनकारी निवेश माना गया है। तथापि 90 दिन से अधिक के अप्राप्त ब्याज को नकदी आधार पर ही आय माना जाता है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा गारंटी की गई उन प्रतिभूतियों को, जिनमें 31.03.2006 को 90 दिनों से अधिक तक भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें गैर निष्पादनकारी निवेश माना गया है एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। साथ ही, राज्य सरकारों द्वारा गारंटी की गई प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ मूल/ब्याज देय है लेकिन 90 से अधिक दिनों तक नहीं चुकाया गया है, ब्याज को केवल नकदी आधार पर आय माना गया है।

(छ) समता अंशों के मामले में, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बाजार भाव या नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध न होने की दशा में किसी कंपनी के शेयर में निवेश का रु. 1 प्रति कंपनी मूल्यांकन किया गया है, उन समता अंशों को गैर निष्पादनकारी निवेश माना गया है।

(ज) 31.03.2006 से प्रतिभूतियों के विरुद्ध उपरोक्त पेरा (ङ), (च ii) एवं (छ) में संदर्भित प्रावधान को, जो कि मूल्य ह्रास के हिस्से के रूप में लेखित होता था, अब प्रथक से "गैर निष्पादनकारी निवेश हेतु प्रावधान" के रूप में गया है।

(झ) किसी भी श्रेणी के निवेश के विक्रय पर हुए लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। तथापि, "परिपक्वता हेतु रखे गए" श्रेणी के निवेश के विक्रय से प्राप्त लाभ की स्थिति में समान राशि का समायोजन पूँजी आरक्षित खाते में किया जाता है।

(ञ) समता अशों के अलावा प्रतिभूतियों के अर्जन के समय दी गई दलाली एवं कमीशन को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

(ट) तुलन पत्र में दर्शाए निवेश मूल्य ह्रास घटाने के बाद दर्शाए गए हैं।

(ठ) प्रतिरक्षा लेनदेन का लेखा उपचित आधार पर किया गया है।

(ड) प्रतिभूति लेनदेन को निपटान दिनांक को बही में लिया गया है।

4. अग्रिम

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, अग्रिमों को 90 दिनों की चूक मानदंड के तहत मूलधन/ब्याज की वसूली के आधार पर "निष्पादक" और "गैर निष्पादक" आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अग्रिम पर आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानिक मानदंड लागू होंगे, यदि ब्याज तथा/या मूलधन या अन्य कोई राशि 90 दिनों से अधिक बैंक को अतिदेय रहते हैं।

(ii) अग्रिमों पर प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :

(क) मानक आस्तियाँ : प्रत्यक्ष कृषि ऋण एवं लघु उद्योगों को ऋणों पर 0.25% तथा एसएमई खंड सहित अन्य ऋणों पर 0.40% ।

(ख) अवमानक आस्तियाँ : अदत्त अग्रिमों का 10% । लेकिन, उन अवमानक आस्तियों को जिन्हें प्रारंभ से ही प्रतिभूति रहित ऋण जोखिमों के रूप में चिन्हित किया गया है, उनमें बकाया राशि के 20% की दर से प्रावधान किया गया है।

(ग) संदिग्ध आस्तियाँ :

➘ जिस अवधि तक आस्ति संदिग्ध रही है, उसके आधार पर अग्रिम के प्रतिभूति वाले भाग पर 20% से 100% तक; एवं,

➘ बिना प्रतिभूति वाले भाग पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम योजना में वसूली गई राशि एवं भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम/सीजी एसटीआई योजनाओं में गारंटी कवर में वसूली गई/वसूली योग्य राशि को निवल करने के बाद 100% ।

(घ) हानिकर आस्तियाँ : अदत्त अग्रिमों का 100% ।

(iii) पुनर्रचित / पुनर्निर्धारित ऋणों के प्रकरण में, मूल करार के अनुसार वर्तमान मूल्य पर भावी ब्याज तथा परिवर्तित करार के अनुसार वर्तमान मूल्य पर भावी ब्याज के अन्तर की पुनर्रचना / पुनर्निर्धारण के समय प्रावधान किया गया है।

(iv) आंशिक वसूलियों का विनियोजन : संदिग्ध एवं हानिकारक आस्तियों के संदर्भ में आंशिक वसूलियों को पहले मूलधन में एवं तत्पश्चात आय में समायोजित किया जाता है।

5. तुलन पत्र में दर्शाए गए अग्रिम निम्नलिखित को घटाकर हैं :

(क) अप्राप्त आय (असंग्रहीत ब्याज)।

(ख) अग्रिमों पर प्रावधान (चल प्रावधान सम्मिलित करते हुए) किंतु मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधान को छोड़कर।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से पुनर्बट्टाकृत बिल।

6. स्थिर आस्तियाँ

(क) परिसर एवं अन्य स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन परम्परागत लागत के आधार पर किया गया है। परिसरों में भूमि की लागत सम्मिलित है, जहाँ कि इसे पृथक नहीं किया जा सकता है।

(ख) परिसरों में पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टे वाली संपत्तियाँ सम्मिलित हैं। पट्टे वाली संपत्तियों का पट्टे की अवधि में परिशोधन किया जाता है।

(ग) कुछ प्रकरणों में भूमि एवं भवन को संपत्ति के हस्तांतरण / आबंटन पत्र / करार एवं भौतिक आधिपत्य के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है।

(घ) आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर ह्रासमान शेष पद्धति से मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटरों (सॉफ्टवेयर को छोड़कर) पर 33.33% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास की सीधी कटौती प्रणाली से मूल्यह्रास लगाया जाता है। विक्रय/ निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है।

(ङ) 01.04.2001 से पूर्व पट्टेवाली संपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास पूँजी वसूली विधि द्वारा लगाया जाता है।

7. स्टाफ के हित

बीमांकिक मूल्यांकन अनुसार स्टाफ सदस्यों को पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण हेतु देयता की गणना उपचय आधार पर की जाती है।

8. शुद्ध लाभ

लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया शुद्ध लाभ निम्न के उपरांत है :

(i) ले. मा.-22 एवं अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार आय पर करों के लिए प्रावधान

(ii) अग्रिमों पर प्रावधान

(iii) (क) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

(ख) निवेशों के मूल्य का समायोजन

(iv) अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान

9. आय कर

(क) आयकर हेतु प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनुमानित कर देयता के आधार पर किया गया है।

(ख) आस्थगित कर का लेखा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (भासलेसं) द्वारा जारी लेखा मानदंड के तहत किया गया है।

(ग) अनुषंगी लाभ पर आयकर प्रावधान, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनुमानित अनुषंगी लाभ मूल्य पर किया गया है।

10. आय मान्यता

(क) आय :

(i) निम्नलिखित को छोड़कर जिनका नकद आधार पर लेखा किया जाता है, ब्याज एवं अन्य आय का उपचय आधार पर लेखा किया जाता है :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर ब्याज एवं अन्य आय

(ख) साख पत्रों / गारंटी पर कमीशन

(ग) मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियों से आय

(घ) बीमा दावे

(ङ) शेयरों और परस्पर निधियों की इकाइयों पर लाभांश

(च) अतिदेय बिलों पर ब्याज

(छ) लॉकर किराए

(ज) भारतीय स्टेट बैंक के साथ अंतर-बैंक खाते पर मूल्य दिनांकित ब्याज

(झ) सरकारी और बीमा व्यवसाय पर कमीशन

(ii) लीज की प्राथमिक अवधि के दौरान 01.04.2001 से पूर्व की लीज आस्तियों पर लीज की आय को प्रतिफल की आंतरिक प्रतिफल दर पद्धति के आधार पर मान्य किया जाता है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (भासलेस) के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका लेखा-जोखा किया जाता है।

(ख) व्यय :

निम्नलिखित को छोड़कर जिनका लेखा भुगतान आधार पर किया गया है, खर्चों का लेखा उपचय आधार पर किया जाता है :

(i) बिजली, टेलीफोन, किराया एवं संपत्ति कर पर व्यय

(ii) अनवीनीकृत अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज

(iii) वार्षिक रख-रखाव अनुबंध

(iv) अंतर-बैंक विदेशी विनिमय अनुबंध के विलंबित निपटान के लिए अतिदेय ब्याज दावे

(v) बीमा प्रीमियम

(vi) भारतीय स्टेट बैंक के साथ अंतर-बैंक खातों पर मूल्य-दिनांकित ब्याज

अनुसूची 18 : लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1.1 अन्तर शाखा लेन देन एवं शासकीय, सहयोगी बैंकों व भारतीय स्टेट बैंक के साथ लेन देन के विभिन्न खातों के समाधान का कार्य निरंतर चलता रहता है। शाखाओं से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर 31.03.2006 तक के असमाधित लेनदेन की प्रारंभिक पहचान का कार्य पूर्ण हो चुका है।

1.2 "आयकर खाता प्रावधान" में प्रावधानों के संदर्भ में क्योंकि निर्धारण वर्ष 2003-04 तक निर्धारण पूर्ण हो चुका है तथा बैंक द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 तक की सई अपीलों का बैंक के पक्ष में निस्तारण हो चुका है व इस अवधि से संबंधित आय कर विभाग का कोई भी दावा लंबित नहीं है, रु. 26.70 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन किया गया है।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पत्र क्र डीबीएस/सीओ.एसएमजी/8808/ 22/09/01/2005-06 दिनांक दिसंबर 19, 2005 के माध्यम से बैंकों को अंतर शाखा खातों में प्रवर्तन प्रविष्टियों में 31.03.1999 तक शुद्ध जमा शेष को सामान्य आरक्षित निधि में एक बार अंतरण की अनुमति के अनुसार, अंतर शाखा समाधान व अंतर शाखा ड्राफ्ट खातों में 31.3.1999 तक के रु. 8.74 करोड़ शुद्ध जमा शेष को "लाभ हानि खाते" व "आरक्षिती व अन्य आरक्षिती खाते" में विनियोजन के रूप में अंतरण किया गया है।

1.4 वर्ष के दौरान, डूबत व संदिग्ध ऋणों पर रु. 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.3.2005 को रु. 89.79 करोड़ का चल प्रावधान, 31.3.2006 को घटकर रु 9.95 करोड़ रह गया है।

1.5 आकस्मिकता निधि में रखी हुई रु. 0.51 करोड़ की राशि का डूबत व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अंतरण कर दिया गया है।

1.6 विशेष विकास निधि में रखी रु. 3.07 करोड़ की राशि का अन्य आरक्षितियों में अंतरण कर दिया गया है।

निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, "परिपक्वता हेतु रखी गई" श्रेणी की प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ के रु. 14.50 करोड़ (गत वर्ष 0.03 करोड़) को पूँजी आरक्षित खाते में अंतरित किया गया है।

2.2 "परिपक्वता हेतु रखी गई" श्रेणी में वर्गीकृत निवेश को प्रमुख लेखा नीतियों के बिन्दु क्र. 3 (ख) (i) के अनुसार, प्रतिभूतियों की अधिग्रहण लागत के अंकित मूल्य से रु. 30.79 करोड़ (गत वर्ष रु. 38.88 करोड़) के आधिक्य को वर्ष के दौरान परिशोधित कर दिया गया है।

2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. 38/21.04.141/2005-06 दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 के माध्यम से दिनांक 31-3-2006 को "एचएफटी" व "एएफएस" दोनों वर्गों की साख व बाजार दोनों जोखिमों के लिए जोखिम भारित आस्तियों पर न्यूनतम 9 प्रतिशत की पूँजी अनुरक्षण रखने वाले बैंकों को निवेश उतार चढ़ाव खाते के पूर्ण शेष को स्तर-I की पूँजी मानने की अनुमति के अनुसार "निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित खाते" में रु. 220.47 करोड़ के शेष को लाभ व हानि विनियोजन खाते की पंक्ति के नीचे "आय व अन्य आरक्षिति" (स्तर-I) में अंतरित कर दिया गया है।

3.1 पूंजी

मद	31.03.2006	31.03.2005
i) पूंजी पर्याप्तता अनुपात (प्रतिशत)	11.40	11.61
ii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात स्तर-I पूंजी (प्रतिशत)	7.55	6.67
iii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात स्तर-II पूंजी (प्रतिशत)	3.85	4.94
iv) भारतीय स्टेट बैंक की अंशधारिता (प्रतिशत)	98.05	98.05
v) स्तर-II पूंजी के रूप में लिए गए गौण ऋण (रु. करोड़ में)	515.00	265.00

3.2 निवेश

(करोड़ रुपये में)

मद	31.03.2006	31.03.2005
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	5375.99	6014.55
(क) भारत में	5375.99	6014.55
(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(ii) ह्रास के लिए प्रावधान	264.01	116.40
(क) भारत में	264.01	116.40
(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य	5111.98	5898.15
(क) भारत में	5111.98	5898.15
(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(2) निवेशों पर उपलब्ध ह्रास के प्रावधानों में परिवर्तन		
(i) प्रारंभिक शेष	116.40	5.31
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	174.12	113.09
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अपलेखित/ अतिरेक पुनरांकित प्रावधान	26.51	2.00
(iv) अंतिम शेष	264.01	116.40

3.2.1 पुनः खरीद लेन देन

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2006 को
पुनः खरीद के अंतर्गत प्रतिभूतियों का बेचान	200.00	350.00	250.00*	Nil
प्रतिवर्ती पुनः खरीद के अंतर्गत प्रतिभूतियों की खरीद	20.00	715.00	326.64*	Nil

* कुल पुनः खरीद की राशि को बैंक द्वारा सुविधा उठाए दिनों की संख्या से भाग देकर औसत निकाला गया है।

3.2.2 गैर सांविधिक चल निधि अनुपात निवेश संविभाग

i) गैर सांविधिक संविभाग चल निधि अनुपात निवेश की जारीकर्ता संरचना (रुपये करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन का परिमाण	निवेश से निम्न स्तर' की प्रतिभूतियों का परिमाण	अमूल्यांकित' प्रतिभूतियों का परिमाण	'असूचीगत' प्रतिभूतियों का परिमाण
(i)	सा.क्षे. उपक्रम	40.16	33.90	5.00	13.97	11.67
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	39.54	23.60	3.93	9.51	3.93
(iii)	बैंक	279.31	10.00	-	1.07	5.00
(iv)	निजी कंपनियाँ	24.80	6.00	-	18.80	-
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम	2.19	-	-	2.19	-
(vi)	अन्य	49.93	-	-	49.93	-
(vii)	मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	16.91	-	-	-	-
	योग	452.84	73.50	8.93	95.47	20.60

ii गैर निष्पादनकारी (गैर एसएलआर) निवेश (रुपये करोड़ में)

विवरण	राशि
प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2005 को	12.63
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक जोड़े गए	0.00
उक्त अवधि के दौरान कम किए	0.18
31 मार्च 2006 को अंतिम शेष	12.45
31 मार्च 2006 को उपलब्ध प्रावधान	12.45

3.3 व्युत्पन्न

3.3.1 वायदा दर समझौता/ब्याज दर विनिमय (करोड़ रुपये में)

मद	31.03.2006	31.03.2005
(i) विनिमय समझौतों का अनुमानित मूलधन	110.00	निरंक
(ii) प्रतिरूपीयों द्वारा समझौतों के दायित्व को पूरा न कर पाने की दशा में होने वाली हानि	निरंक	निरंक
(iii) विनिमय में प्रवेश हेतु बैंक को संपार्श्विक की आवश्यकता	निरंक	लागू नहीं
(iv) विनिमय से होने वाली साख जोखिम का संकेन्द्रीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) विनिमय खाते का उचित मूल्य	निरंक	निरंक

(क्योंकि विनिमय 31.03.2006 को किया गया)

3.3.2 बाजार सौदे ब्याज दर व्युत्पन्न (करोड़ रुपये में)

क्र.	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान बाजार सौदे ब्याज दर व्युत्पन्नों की अनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	निरंक
(ii)	31 मार्च 2006 को बाजार सौदे ब्याज दर व्युत्पन्नों की अनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	निरंक
(iii)	बाजार सौदे ब्याज दर व्युत्पन्नों की अनुमानिक मूल राशि शेष और "अधिक-प्रभावी" नहीं (लिखत-वार) क) ख) ग)	निरंक
(iv)	बाजार सौदे ब्याज दर व्युत्पन्नों के बकाया राशि की अंकित बाजार दर और "अधिक प्रभावी" नहीं (लिखत-वार) क) ख) ग)	निरंक

3.3.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अवस्थिति का प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान में, बैंक व्युत्पन्नों में लेनदेन नहीं करता है। 31.03.2006 को ही प्रतिरक्षा के उद्देश्य से एक ब्याज दर विनिमय किया गया है। प्रयोक्ता विभाग द्वारा प्रतिरक्षा की जाने वाली निहित व प्रतिरक्षा लिखत की पहचान कर ली गई है। बैंक द्वारा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्युत्पन्न नीति बनाई गई है। सौदे का क्रियान्वयन व निगरानी साख विभाग द्वारा की जाती है।

(ख) जोखिम का माप दर संवेदनशील आस्तियों (आर.एस.ए.) व दर संवेदनशील देयताओं (आर.एस.एल.) में अंतर प्रबंधन, जैसे आस्ति देयता प्रबंधन के मानक संसाधनों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। भारतीय रिज़र्व बैंक व शीर्ष प्रबंधन को बैंक के मानकों के अनुसार प्रतिवेदन किया जायेगा एवं निरंतर आधार पर निगरानी की जायेगी, जिसके लिए नीति निर्धारण हो रहा है।

ग) एक निहित की पहचान, दर संवेदनशील अंतर की प्रतिरक्षा के लिए व्युत्पन्न का प्रयोग एवं ब्याज दर व विनिमय दर की स्थिति के अनुसार इसकी प्रभावशीलता का पुनरीक्षण, जोखिम को कम करने की कुछ प्रक्रियाएं है।

(घ) प्रतिरक्षा सौदों का उपचय आधार दर लेखा किया जाता है। प्रतिरक्षा सौदे होने के कारण, बाजार मूल्यांकन नहीं किया जाता है। फिर भी, उचित मूल्य व प्रतिरूपी द्वारा चूक की दशा में अनुमानित हानि का प्रकटीकरण किया गया है। आंतरिक रूप से प्रतिरूपियों की जोखिम सीमा का निर्धारण कर साख जोखिम को कम किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (करोड़ रुपये में)

क्र.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	बाजार दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (अनुमानिक मूल राशि)		
	क) प्रतिरक्षा हेतु	110.00	निरंक
	ख) व्यापार हेतु	निरंक	निरंक
(ii)	बाजार मूल्य अंकन स्थितियाँ (1)		निरंक
	क) आस्ति (+)		
	ख) देयता (-)		
(iii)	साख जोखिम (2)	5.50	
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का अनुमानित प्रभाव (100*पीवी01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्नों पर	1.72	लागू नहीं
	ख) व्यापार हेतु व्युत्पन्नों पर	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	वर्ष के दौरान अवलोकित अधिकतम-न्यूनतम 100*पीवी01		
	क) प्रतिरक्षा पर	लागू नहीं*	लागू नहीं
	ख) व्यापार पर	लागू नहीं	लागू नहीं

* ब्याज दर विनिमय 31.03.2006 को किया गया

वायदा विनिमय संविदाएं

31.03.2006 को वायदा संविदाओं की बकाया स्थिति निम्नानुसार है : (करोड़ रुपये में)

परिपक्वता	व्यापारिक वायदा संविदा	अंतर बैंक वायदा संविदा	कुल वायदा संविदा
14 दिन तक	192.18	1100.56	1292.74
14 दिन से अधिक व 1 वर्ष से कम	2961.80	10783.28	13745.08
1 वर्ष व 2 वर्ष से कम	0.00	0.00	0.00
योग	3153.98	11883.84	15037.82

3.4 आस्ति गुणवत्ता

3.4.1 गैर-निष्पादनकारी आस्ति (करोड़ रुपये में)

मद	31.03.2006	31.03.2005
(i) शुध्द गैर नि.आ./शुध्द अग्रिम (प्रतिशत)	1.83	1.00
(ii) गैर नि.आ. में परिवर्तन (सकल)		
क) प्रारंभिक शेष	303.48	266.36
ख) वर्ष के दौरान जोड़ी गई	242.30	161.39
स) वर्ष के दौरान कम किए	182.85	124.27
द) अंतिम शेष	362.93	303.48
(iii) शुध्द गैर नि.आ. में परिवर्तन		
क) प्रारंभिक शेष	90.72	निरंक
ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	231.11	90.72
स) वर्ष के दौरान कम किए	105.03	निरंक
द) अंतिम शेष	216.80	90.72
(iv) गैर नि.आ. हेतु प्रावधान में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधान के अतिरिक्त)		
क) प्रारंभिक शेष	199.55	258.29
ख) वर्ष के दौरान प्रावधान किया (आकस्मिक निधि से अंतरण)	5.00 0.51	97.33
(स) अतिरेक प्रावधानों का अपलेखन/पुनरांकन	72.78	156.07
(द) अंतिम शेष	132.28	199.55

3.4.2 पुनर्संरचना के अधीन ऋण अस्तियों का विवरण (करोड़ रुपये में)

मद	2005-06 खातों की संख्या	2005-06 ऋण राशि	2005-06 ब्याज का त्याग	2004-05 खातों की संख्या	2004-05 ऋण राशि	2004-05 ब्याज का त्याग
(i) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनर्सक्रमण की गई ऋण आस्तियों की कुल राशि	9	71.99	6.16	13	105.47	19.05
उसमें से सीडीआर के अंतर्गत	4	29.85	4.53	4	88.25	18.04
उसमें से एसएमई के अंतर्गत	1	5.36	0.19	0	0	0
सीडीआर और एसएमई के अतिरिक्त	4	36.78	1.44	9	17.22	1.01
(ii) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनर्सक्रमण की गई मानक आस्तियों की राशि	6	52.71	3.97	10	95.34	19.04
उसमें से सीडीआर के अंतर्गत	2	17.62	2.34	3	80.74	18.04
उसमें से एसएमई के अंतर्गत	1	5.36	0.19	0	0	0
सीडीआर और एसएमई के अतिरिक्त	3	29.73	1.44	7	14.60	1.00
(iii) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनर्सक्रमण की गई अवमानक आस्तियों की राशि	1	7.05	0	1	0.05	0.01
उसमें से सीडीआर के अंतर्गत	0	0	0	0	0	0
उसमें से एसएमई के अंतर्गत	0	0	0	0	0	0
सीडीआर और एसएमई के अतिरिक्त	1	7.05	0	1	0.05	0.01
(iv) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनर्सक्रमण की गई संदिग्ध आस्तियों की राशि	2	12.23	2.19	2	10.08	0
उसमें से सीडीआर के अंतर्गत	2	12.23	2.19	1	7.51	0
उसमें से एसएमई के अंतर्गत	0	0	0	0	0	0
सीडीआर और एसएमई के अतिरिक्त	0	0	0	1	2.57	0

टिप्पणी [(i) = (ii)+(iii)+(iv)]

3.4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण (करोड़ रुपये में)

मद	2005-06	2004-05
(i) खातों की संख्या	11	निरंक
(ii) प्र.क./पु.क. को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	0.94	निरंक
(iii) सकल प्रतिफल	2.20	निरंक
(iv) विगत वर्षों में अंतरित खातों में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
(v) शुद्ध बही मूल्य पर सकल लाभ/हानि	निरंक	निरंक

टिप्पणी :- एआरसीआइएल को बेचे गए वित्तीय आस्तियों में से, एक पक्ष की ओर से रु.0.70 करोड़ 31.03.2006 के पूर्व प्राप्त हुए हैं, जिसे एआरसीआइएल (भारतीय आस्ति पुनर्निर्माण कं. लि.) के पक्ष में विविध जमा खाते में रखा गया है।

3.4.4 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (करोड़ रुपये में)

मद	31.03.2006	31.03.2005
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	42.50	22.50

3.5 व्यावसायिक अनुपात

(करोड़ रुपये में)

मद	चालू वर्ष	गत वर्ष
(i) ब्याज आय का कार्यशील निधियों पर प्रतिशत	7.23	7.67
(ii) गैर ब्याज आय का कार्यशील निधियों पर प्रतिशत	1.51	1.23
(iii) परिचालन लाभ का कार्यशील निधियों पर प्रतिशत	2.29	2.43
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल	0.76	0.92
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा+अग्रिम) (लाख रुपये में)	429.32	293.88
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रुपये में)	2.09	2.07

(31.03.06 को कर्मचारियों की संख्या - 6647)

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति (करोड़ रुपये में)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	276	157	1253	1832	2800	6212	132	3999	16661
अग्रिम	413	45	618	778	835	6155	1365	1667	11876
निवेश	393	263	30	158	18	988	670	2592	5112
उधार	65	0	101	7	7	21	9	453	663
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	163	392	454	117	13	2	5	0	1146
विदेशी मुद्रा दायित्व	112	425	292	57	33	35	192	0	1146

(1) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की अनुमति के अनुसार, आस्ति देयता समिति द्वारा किए गए अनुशीलन के आधार पर आस्तियों व देयताओं का विभिन्न समयावधि समूहों में वर्गीकरण किया गया है। बैंक द्वारा अनुपालित परिपक्वता स्थिति एवं विस्तार को जानने के लिए अपनाई गई पद्धति को लेखा परीक्षकों ने स्वीकार किया है।

(2) अग्रिम प्रावधान/असंग्रहित ब्याज एवं बिल पुनर्भुनाई को घटाकर हैं।

3.7 संवेदनशील क्षेत्र को ऋण

3.7.1 (अ) स्थावर संपदा क्षेत्र में अवस्थिति (करोड़ रुपये में)

वर्ग	31.03.2006	31.03.2005
क) प्रत्यक्ष अवस्थिति		
(i) आवासीय बंधक - ऋणी के अधिकार में या अधिकार में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपतियों के बंधक से पूर्णतः संरक्षित ऋण	159.13	2.77
(ii) व्यावसायिक स्थावर संपदा - व्यावसायिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा व्यवसाय स्थान, बहु-उपयोगी व्यावसायिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार व्यवसायिक परिसर, औद्योगिक व गोदाम स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व निर्माण आदि) के बंधकों से संरक्षित ऋण	153.86	10.79
(iii) बंधक द्वारा संरक्षित प्रतिभूतियों में निवेश (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिय अवस्थिति		
क. आवासीय	0	0
ख. व्यावसायिक स्थावर संपदा	0	0
ख) अप्रत्यक्ष अवस्थिति - राष्ट्रीय आवास बैंक/आवासीय वित्त कंपनियों पर निधि आधारित व गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	352.48	0.93
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल अवस्थिति (अ)	1480.61	14.49

3.7.2 (ब) पूंजी बाजार में ऋण जोखिम अवस्थिति (करोड़ रुपये में)

मद	31.03.2006	31.03.2005
(i) पूंजी अंशों में निवेश	38.75	25.77
(ii) बॉंड/परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश	0	0
(iii) पूंजी-प्रधान म्यूचुअल फंड की इकाईयों में निवेश	46.00	37.00
(iv) अंशों (प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना को सम्मिलित कर), बॉंड व डिबेंचर, पूंजी प्रधान म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश हेतु अंशों के पेटे व्यक्तियों को अग्रिम	0.97	0.39
(v) शेयर दलालों को जमानती व गैर जमानती अग्रिम और शेयर दलालों व मार्केट मेकर की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ	21.51	21.59
पूंजी बाजार में कुल अवस्थिति (ब) (i+ii+iii+iv+v)	107.23	84.75
(vi) ऊपर (v) में से, शेयर दलालों को अंतर व्यापार हेतु वित्तपोषण	0	0
संवेदनशील क्षेत्र में कुल अवस्थिति (अ) + (ब)	1587.84	99.24

3.7.3 (स) जोखिम वर्ग के अनुसार अन्य देशों में अवस्थिति (करोड़ रुपये में)

जोखिम वर्ग	31.03.2006 को अवस्थिति (शुद्ध)	31.03.2006 को उपलब्ध प्रावधान	31.03.2005 को अवस्थिति (शुद्ध)	31.03.2005 को उपलब्ध प्रावधान
नगण्य	371.06	निरंक	275.75	निरंक
कम	354.06	0.36	196.11	निरंक
मध्यम	120.10	निरंक	13.15	निरंक
उच्च	24.18	निरंक	16.46	निरंक
अत्यंत उच्च	21.18	निरंक	निरंक	निरंक
साख प्रतिबंधित	2.98	निरंक	0.65	निरंक
योग	893.56	0.36	502.12	निरंक

बैंक ने हाँगकाँग में कुल आस्तियों (31.03.2006 को) के 1 प्रतिशत से अधिक वित्तपोषण (रु. 209.95 करोड़) किया है एवं तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार रु. 36.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3.7.4 एकल ऋणी सीमा (एसबीएल), समूह ऋणी सीमा (जीबीएसएल) को बैंक द्वारा व्यतिक्रमण का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2005-06 में बैंक ने निम्नलिखित ऋणी के प्रकरण में विवेकपूर्ण अवस्थिति सीमा का व्यतिक्रमण किया है : (करोड़ रुपये में)

भारतीय कृषक उर्वरक निगम लि.	साख अवस्थिति रु. 200.00 करोड़

3.8 विविध (करोड़ रुपये में)

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधानों की सूची :

	31.03.2006	31.03.2005
आयकर के लिए प्रावधान	54.50	47.75
अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	18.00	निरंक

3.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए दंडों का प्रकटीकरण : भारतीय रिज़र्व बैंक ने पत्र क्रमांक डीबीएस/बीएमडी (1)/6254/13.29.001/2005-06 दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के द्वारा 27.03.2000 को खोले गए एक खाते में खाता खोलने के फॉर्म के रख-रखाव व उसके परिचालन पर निगरानी संबंधित "अपने ग्राहक को पहचानो" के मानदंडों के अनुपालन में चूक के कारण बैंक पर रु. 5 लाख का दंड लगाया है। बाद में संबंधित खाता खोलने के फॉर्म को ढूंढ लिया गया है व भारतीय रिज़र्व बैंक को खाते में परिचालन के विवरण के साथ प्रस्तुत कर दिया गया। बैंक ने दंड के अधित्याग के लिए अनुरोध किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है।

4.1 लेखा मानक 17 - खंड प्रतिवेदन : आई.सी.ए.आई. के ले.मा.-17 के अनुरूप, खंडवार सूचना इस प्रकार है :

(क) निम्न खंडों की प्राथमिक खंडों के रूप में पहचान की गई है :

(i) घरेलू कोषागार लेन-देन (डीटीओ) (ii) अन्य बैंकिंग लेन-देन (ओबीओ) (iii) शेष परिचालन

(ख) समूचे भारतीय लेन-देन को एक प्रतिवेदनीय खंड माना गया है और इसलिए द्वितीयक खंड की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

भाग अ : व्यावसायिक खण्ड (करोड़ रुपये में)

व्यावसायिक खंड	कोष 31.3.2006	कोष 31.3.2005	अन्य बैंकिंग परिचालन 31.3.2006	अन्य बैंकिंग परिचालन 31.3.2005	योग 31.3.2006	योग 31.3.2005
आय	141.27	502.86	1453.64	1168.98	1594.91	1671.84
परिणाम	(76.05)	(71.75)	269.83	217.30	193.78	145.55
अनआबंटित व्यय					(3.50)	(2.55)
परिचालन लाभ					197.28	148.10
आयकर					58.17	14.93
असाधारण लाभ/हानि					--	–
शुध्द लाभ					139.11	133.17
अन्य विवरण						
खंड आस्तियाँ	5378.12	6807.57	15155.42	10007.54	20533.54	16815.11
अनआबंटित आस्तियाँ					177.27	83.26
कुल आस्तियाँ					20710.81	16898.37
खंड देयताएँ	0.75	550.96	20710.06	16044.91	20710.81	16595.87
अनआबंटित देयताएँ					0.00	302.50
कुल देयताएँ					20710.81	16898.37

4.2 लेखा मानक-18 : संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

बैंक ने आई.सी.ए.आई. के ले.मा.-18 के अंतर्गत प्रकटीकरण में निम्न को संबंधित पक्ष माना है :

(i) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कर्मी एवं उन्हें वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पारिश्रमिक निम्नानुसार हैं :

	नाम	पद	अवधि	राशि
1.	श्री सी. नरसिम्हन	प्रबंध निदेशक	01.04.2005 से 31.03.2006	5,11,172.53

(ii) प्रबंध निदेशक एवं/या उनके संबंधियों के स्वामित्व के उद्यम : निरंक

(iii) सहयोगी : विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(iv) मूल : भारतीय स्टेट बैंक

(v) अन्य सभी संबंधित पक्ष क्योंकि सरकार नियंत्रित उद्यम हैं, लेखा मानक-18 को परिभाषा के अनुसार, उनके साथ लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

4.3 लेखा मानक - 20 : प्रति अंश आय

	31.03.2006 को समाप्त वर्ष	31.03.2005 को समाप्त वर्ष
प्रति अंश आय (पूर्णरुपेण)	रु. 794.89	रु. 761.01
प्रति अंश आय (आंशिक रुप से)	रु. 794.89	रु. 761.01

4.4 लेखा मानक - 22 : आय पर करों का लेखा (आस्थगित कर)

बैंक ने ले. मा. - 22 के अनुसार आयकर का लेखा जोखा किया है एवं आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए) एवं आस्थगित कर देयताएँ(डीटीएल) निम्नानुसार हैं : (करोड़ रुपये में)

	विवरण	31.03.2006	31.03.2005
(a)	निवेशों पर परिशोधन	31.47	32.77
(b)	अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	10.24	9.79
(c)	वेतन पुनर्निर्धारण हेतु प्रावधान	0.00	14.63
(d)	पुनर्संरचित खातों पर प्रावधान	5.89	8.81
(e)	निवेशों पर उपचित ब्याज	0.00	0.48
(f)	गैर निष्पादनकारी निवेशों पर प्रावधान	6.51	0.00
(g)	अन्य आस्थगित कर देयताएँ	0.00	0.00
	शुध्द आस्थगित कर आस्ति	54.11	66.48

न्यायिक अभिमत एवं विभिन्न अपील प्राधिकारियों द्वारा दिए आदेशों के आधार पर विवादित कर देयताओं के विरुद्ध किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

4.5 लेखा मानक-26 : अमूर्त आस्तियाँ

सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर का अनिवार्य भाग है, पर 60 प्रतिशत की दर से (मूल्यह्रासित मूल्य पध्दति आधार पर) एवं अन्य सॉफ्टवेयर पर 100 प्रतिशत की दर से ह्रास की निर्धारित पध्दति का बैंक द्वारा सतत पालन, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-26 के अनुरुप है।

4.6 आस्तियों का हानिकरण (लेखा मानक-28) : बैंक के अधिकार में अचल आस्तियों को "कॉर्पोरेट अस्तियाँ" माना गया है और आईसीएआई के लेखा मानक 28 की परिभाषा के अनुसार ये नकदी निर्माण इकाइयाँ नहीं हैं। प्रबंधन के अभिमत के अनुसार, बैंक की अचल आस्तियों में कोई उल्लेखनीय हानिकरण नहीं है।

4.7 आकस्मिक देयताएँ व प्रावधान (लेखा मानक 29) :

31.03.2006 से प्रभावशील प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं व आकस्मिक आस्तियों का विवरण

(क) आकस्मिक देयताओं के प्रावधानों में परिवर्तन (करोड़ रुपये में)

विवरण	विधिक प्रकरण/आकस्मिकताएँ	गै.नि.आ. खाते में बैंक गारंटी व साखपत्र	कुल
01.04.05 को शेष	0.80	1.49	2.29
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.89	0.68	1.57
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	NIL	NIL	NIL
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.09	1.49	1.58
31.03.06 को शेष	1.60	0.68	2.28

(ख) आकस्मिक देयताओं पर अनुलग्नक 12 के संदर्भ में : क्रमांक (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) में ऐसी देयताएं क्रमशः न्यायालय/विवाचन/न्यायालय के बाहर समझौते/ अपीलों के निराकरण, प्रत्याहूत राशि, संविदागत बाध्यता के नियमों, प्रगति व संबंधित पक्षों द्वारा की गई माँग पर निर्भर हैं।

गत वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के संगत बनाने हेतु आवश्यकतानुसार उन्हें पुनर्उत्पादित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

सी. नरसिम्हन
प्रबंध निदेशक

टी. ए. पद्मनाभन
मुख्य महाप्रबन्धक

श्रीमती एनी पवार
महाप्रबंधक (ट्रेज़री)

के. विजय कुमार
उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

निदेशक

श्रीमती डी. श्रीवास्तव · **एस. के. हरिहरन**

एम. वैंकटेशवरलू · **जीबन गोस्वामी**

रवीन्द्र पेंढारकर · **यशोवर्धन सिन्हा**

मनोज गुप्ता · **आलोक खरे**

अतुल प्रधान

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी-प्रवाह विवरण

(रुपयों में 000 छोड़कर)

	31.03.2006 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष)	31.03.2005 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष)
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	7,20,96,11	3,17,15,54
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(74,56,34)	(41,87,61)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	2,02,42,38	1,08,25,06
घ. विनिमय उतार - चढ़ाव नकदी प्रवाह	0	0
नकदी और नकदी तुल्य में शुद्ध परिवर्तन	**8,48,82,15**	**3,83,52,99**
ङ वर्ष के शुरुआत में नकदी और नकदी तुल्य	12,00,04,71	8,16,51,72
च वर्ष के अंत में नकदी और नकदी तुल्य (क+ख+ग+घ+ङ)	20,48,86,86	12,00,04,71
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	2,23,97,20	1,48,10,68
निम्न के लिए समायोजन		
ह्रास प्रभार	38,87,43	25,32,59
अचल आस्तियों के विक्रय पर हानि	(33)	4,16
गैर निष्पादनकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	5,00,00	(17,65,26)
मानक आस्तियों पर प्रावधान	20,00,00	6,40,00
वेतन पुनरीक्षण पर प्रावधान	0	40,00,00
विनियोगों पर ह्रास	1,73,67,05	1,11,60,46
विनियोगों पर अमूर्तिकरण	30,79,49	38,87,79
गैर निष्पादनकारी विनियोगों के लिए प्रावधान	44,59	0
अन्य आस्तियों पर प्रावधान	0	0
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर प्रावधान	0	0
अन्य प्रावधान	(33,83,54)	24,75,70
वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय	0	0
समनुषंगियों से लाभांश (विनियोग गतिविधियाँ)	0	0
एसबीआई बॉण्ड्स पर ब्याज का भुगतान (वित्तीय गतिविधि)	27,70,28	11,98,37
घटाया : प्रत्यक्ष कर	1,69,29,84	27,20,39
घटाया : स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में भुगतान	0	0
उप-योग	**3,17,32,33**	**3,62,24,10**
निम्न के लिए समायोजन जमाओं में वृद्धि / (कमी)	28,53,64,02	33,88,40,49
उधार में वृद्धि /(कमी)	(1,46,26,10)	6,14,44,76
विनियोगों में (वृद्धि)/ कमी	5,81,25,43	(6,19,61,38)
अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(28,40,31,86)	(26,17,09,98)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	7,49,66,55	(4,72,81,91)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(7,94,34,26)	(3,38,40,54)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**7,20,96,11**	**3,17,15,54**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
समनुषंगी / संयुक्त उद्यमों में निवेश में (वृद्धि) / कमी	0	0
ऐसे निवेशों पर अर्जित आय	0	0
अचल सम्पत्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(74,56,34)	(41,87,61)
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी	(74,56,34)	(41,87,61)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अंश पूँजी	0	0
अंश प्रीमियम	0	0
अधीनस्थ बॉण्ड्स	2,50,00,00	2,00,00,00
(अधीनस्थ बांड्स का परिशोधन)	0	(60,00,00)
(बॉण्ड्स पर प्रदत्त ब्याज)	(27,70,28)	(11,98,37)
(प्रदत्त लाभांश)	(19,87,34)	(19,76,57)
वित्तीय गतिविधियों से उपलब्ध शुद्ध नकदी	2,02,42,38	1,08,25,06
घ. विनिमय उतार - चढ़ाव नकदी प्रवाह		
विदेशी समनुषंगी / संयुक्त उद्यमों में निवेश	0	0
विदेश में अन्य निवेश	0	0
विदेशी कार्यालयों के लाभ/हानि (अन्य आस्तियाँ) वे कारण विनिमय उतार-चढ़ाव	0	0
विदेशी कार्यालयों को उधार दी गई निधियाँ (अन्य आस्तियाँ) के कारण विनिमय उतार-चढ़ाव	0	0
अग्रिम : एसबीआईआईएमएल को सावधिक ऋण	0	0
विनिमय उतार - चढ़ाव से नकदी प्रवाह	0	0
ङ वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य		
हस्तस्थ नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों एवं स्वर्ण सहित)	23,06,37	39,10,70
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	5,43,62,33	5,13,00,69
बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचनाओं पर प्रतिदेय राशि	6,33,36,01	2,64,40,33
उप-योग	12,00,04,71	8,16,51,72
च. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य		
हस्तस्थ नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों एवं स्वर्ण सहित)	24,72,94	23,06,37
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	11,21,83,70	5,43,62,33
बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचनाओं पर प्रतिदेय राशि	9,02,30,22	6,33,36,01
उपयोग	**20,48,86,86**	**12,00,04,71**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

प्रति,
भारतीय स्टेट बैंक

1. हमने स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का दिनांक 31 मार्च 2006 का संलग्न तुलन-पत्र एवं उसके साथ अनुलग्नक उस दिनांक को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते तथा नकदी-प्रवाह विवरणी का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षण की गई 20 शाखाओं की विवरणियाँ एवं शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 408 शाखाओं के किए गए लेखा परीक्षण की विवरणियों का समावेश है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण की गई शाखाओं एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण की गई शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते में उन 12 शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है, जिनका लेखा परीक्षण नहीं हुआ है। इन गैर लेखा परीक्षण वाली शाखाओं में बैंक के 0.47 प्रतिशत अग्रिम, 0.09 प्रतिशत जमा राशियाँ, 0.22 प्रतिशत ब्याज आय एवं 0.11 प्रतिशत ब्याज व्यय है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपना अभिमत व्यक्त करने का है।
2. हमने अपना लेखा परीक्षण सामान्यतः भारत में मान्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम लेखा परीक्षण की योजना एवं कार्यप्रणाली इस प्रकार बनाएँ कि उचित आश्वासन प्राप्त कर लें कि वित्तीय विवरणियाँ महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणियों में दर्शायी गई राशियों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर, जाँच सम्मिलित रहती है। लेखा परीक्षण में, प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखा सिद्धांतों एवं मुख्य अनुमानों का आकलन, साथ ही वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित रहता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करता है।
3. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः प्रपत्र "क" एवं "ख" में तैयार किए गए हैं।
4. उपर दिए अनुच्छेद 1 में वर्णित लेखा परीक्षण की सीमा के अंदर "भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959" एवं उसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों की आवश्यकतानुसार एवं उसमें इच्छित प्रकटीकरण की सीमा के तहत, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :-
   (क) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार जितनी भी जानकारियाँ व स्पष्टीकरण लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, वो सभी हमने प्राप्त किए हैं एवं उन्हें संतोषजनक पाया है।
   (ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं।
   (ग) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारे लेखा परीक्षण की दृष्टि से पर्याप्त पाई गईं।
5. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरणी मान्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुरुप हैं।
6. हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शाया गया है तथा हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :-
   (i) साथ दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक पूर्ण और सही तुलन- पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी शामिल है और इसे उचित प्रकार से तैयार किया गया है जिससे कि इसमें 31 मार्च 2006 को बैंक के कामकाज का वास्तविक एवं सुस्पष्ट चित्र भारत में सामान्यतया मान्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुरुप प्रदर्शित हो सके।
   (ii) भारत में सामान्यतया मान्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुरुप, लाभ एवं हानि खाते के साथ पठित टिप्पणियाँ संबंधित वर्ष के खाते में दिए गए लाभ की वास्तविक स्थिति दिखाते हैं; और,
   (iii) नकदी-प्रवाह विवरणी उस तिथि को समाप्त संबंधित वर्ष के नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति दर्शाती है।

वास्ते शर्मा-गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार
(अमर मित्तल)
भागीदार
स.सं. 17555

वास्ते घिया एंड कं.
सनदी लेखाकार
(संजय घिया)
भागीदार
स.सं. 72467

वास्ते अरुण के. अग्रवाल एंड एसो.
सनदी लेखाकार
(राजेश सुरोलिया)
भागीदार
स.सं. 88008

वास्ते राज हर गोपाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
(जी.के. गुप्ता)
भागीदार
स.सं. 81085

स्थान : मुम्बई
दिनांक : अप्रैल 29, 2006

युवा सोच, इन्दौर बैंक

www.indorebank.org | Helpline : 18002336677

ankit